न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवड़ा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 57/2020 अपील (राजस्व)

श्री कुन्दनमल मेघवाल पिता श्री हीरालाल मेघवाल निवासी– खरसाण, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर
2. प्रधानाचार्य, रेडियेन्ट इन्टरनेशनल स्कूल, खरसाण

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 946/2019 ना.क. निर्णय दिनांक 22.07.2020
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री ललित जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–29.11.2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर दिनांक 22.07.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा अतिक्रमी शम्भूलाल गोपावत के विरूद्ध शिकायत कर यह निवेदन किया की मौजा खरसाण की आराजी नंबर 2295/1/1 में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य कर लिया गया है जिसको हटाकर बिलानाम रास्ते की भूमि को पुनः खुला रखा जाना फरमावे। यह रास्ते की भूमि थी। इस भूमि को खातेदार दिनेश पिता भीमालाल मेघवाल द्वारा रास्ते के उपयोग हेतु राज्य के पक्ष में समर्पित की गई थी। जिस पर भी अतिक्रमी शम्भूलाल द्वारा रेडियेन्ट स्कूल की दीवार बना रखी है। शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा कार्यवाही हेतु पटवारी को लिखा गया। पटवारी द्वारा मूल अतिक्रमित भवन मालिक को बचाने के नियत से गलत रिपोर्ट किरायेदार के नाम से बनाकर किरायेदार को गलत पक्षकार के रूप में संयोजित करा कार्यवाही की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अतिक्रमण को अपने आदेश दिनांक 22.07.2020 में अतिक्रमण भी नहीं माना एवं इस भू–भाग को सिवायचक भूमि का भू–भाग नहीं माना जाकर अतिक्रमण नहीं माना है। इस प्रकार अपने आदेश में भारी कानूनी त्रुटि कारित की है। नियम कानूनों को ताक में रखकर आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के आदेश दिनांक 22.07.2020 को निरस्त फरमायी जाकर वास्तविक अतिक्रमियों शम्भूलाल गोपावत व दीपक व्यास भवन मालिक के विरूद्ध बेदखली का आदेश फरमाते हुए अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील मेमो के साथ में धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अतिक्रमी द्वारा रास्ते की भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया जिसकी शिकायत सम्पर्क पोर्टल पर की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय नुमाइशी कार्यवाही करते हुए कार्यवाही ड्रोप कर दी गई जबकि प्रकरण में मैं हितबद्ध पक्षकारान हूं। मेरी शिकायत पर ही सारी कार्यवाही हुई है। उसी आधार पर मैं अपील करने की भी अधिकारिता रखता हूं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी का स्वीकार फरमाया जाकर अपील स्वीकार फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब नहीं देकर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2020 पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना नहीं गया। पटवारी हल्का द्वारा मूल अतिक्रमी को बचाने की नियत से किरायेदार के नाम से अतिक्रमण की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी गई। स्कूल भवन के मालिक को पक्षकार नहीं बनाया गया। मेरी शिकायत पर जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को सख्त कार्यवाही किए जाने के आदेश किए गए उसके उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तिवक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभाव के चलते मात्र नुमाइशी कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण की कार्यवाही को ड्रोप कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारित किया गया निर्णय अविधिकता एवं अनियमितता पारिचायक होने से काबिल निरस्त के है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अतिक्रमियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए रास्ते की भूमि जो की मूल खातेदार श्री दिनेश पिता भेरूलाल मेघवाल द्वारा समर्पित की गई थी उसे पुनः खोले जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर अतिक्रमी को सुना जाकर उसके साक्ष्य सबूत प्राप्त कर गुणावगुण पर कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त भूमि राजकीय बिलानाम सरकार की नहीं होने के कारण पत्रावली की कार्यवाही को बंद कर दी गई, की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का खरसाण दिनांक 22.06.2020 के अनुसार संपरिवर्तन के समय मूल खातेदार दिनेश भेरूलाल मेघवाल द्वारा अपने खाते की भूमि खसरा नंबर 2295/1 रकबा 4 बिस्वा में से 2 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु राज्य सरकार को समर्पित की गई थी। जिस पर अतिक्रमी द्वारा चारदीवारी बना एवं गेट बनाकर कब्जा करना मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.06.2020 के अनुसार जाहिर हो रहा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

की गई अलबता 91 की कार्यवाही ड्रॉप कर दी गई। पत्रावली पर रेडियेन्ट इन्टरनेशनल स्कूल खरसाण के प्राचार्य ने स्कूल किराए पर संचालित होने का जवाब पेश 11.06.2019 को किया फिर 20.11.2019 को जवाब में अंकित किया कि निर्मित भूमि को सरकार को समर्पित करने से पूर्व से निर्मित होने से अतिक्रमण मानना सही नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट, जवाब रेस्पोडेन्ट एवं स्वयं अधीनस्थ अदालत के निर्णय से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को समर्पित रास्ते के प्रयोजनार्थ भूमि पर चारदीवारी एवं गेट लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंतिम पेरोग्राफ में यह निष्कर्ष अंकित किया है –

'' मूल आराजी नम्बर 2295/1 में से सपर्पित भू–भाग 0–02 बीघा वर्तमान में भी रास्ता के प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिए जाने से तथा निर्माण अतिक्रमण करने की नियत से न होकर किसी आम पब्लिक को इस दरवाजे व दीवार से परेशानी नहीं होने से तथा समर्पित भूमि के भू–भाग में होने से जो मूल रूप से कृषि भू–भाग का भाग है तथा सिवायचक भूमि का भू–भाग नहीं है। अतः इसे अतिक्रमण मानना उचित नहीं ठहराया जाता है। लिहाजा कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है।''

पत्रावली पर उक्त तथ्यों के स्पष्टता के बावजूद इसे अतिक्रमण नही मानकर कार्यवाही ड्रोप करने का अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश नियम एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। अतः खारिज योग्य है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2020 निरस्त किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ अदालत को निर्देशित किया जाता है कि एक माह की अवधि में राज्य सरकार को रास्ते हेतु समर्पित आराजी को अतिक्रमण मुक्त किया जावे एवं आवासीय संपरिवर्तन भूमि पर विद्यालय संचालन का तथ्य ध्यान में आने के बावजूद अधीनस्थ अदालत द्वारा इसे संज्ञान में नहीं लेना अत्यन्त गंभीर है। अतः इसके लिए भी नियमानुसार एक माह में कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जाता है।

अदालत का यह मानना है कि अधीनस्थ अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी कर इनका विवेचन मनमाने तरीके से किया है एवं अपने कर्तव्य निवर्हन में पूर्णतः लापरवाही का परिचय दिया है। अतः तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के प्रस्ताव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) उदयपुर एक माह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार वल्लभनगर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जाए।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested